

[श्री ज्ञान्ति त्यागी]

विद्यार्थी वहाँ कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें उन्हें अच्छे पद मिल सकें। महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मैं इनका समर्थन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसको कराया जाए।

**Problems of Cement Factory Workers at
Sawai Madhopur**

डा. अब्दुल अहमद खान (राजस्थान) : आदरणीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे जो इस विशेष उल्लेख के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से 15 महीनों में बंद पड़ी सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। महोदया, इस फैक्टरी के बंद होने के कारण वहाँ के 3 हजार मजदूर, उनके घर के 20 हजार आदमी और अल्पप्रयत्न-रूप से प्रभावित होने वाले 50 हजार आदमी परेशान हैं। वे भूख से लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ, जिन बच्चों की उम्र अभी स्कूल जाने की है वे बच्चे भूख और ध्यास से लड़ रहे हैं और वे बच्चे स्कूलों में न जाकर जंगलों में लकड़ियाँ और पत्ते लेने जा रहे हैं। सवाई माधोपुर की इस सीमेंट फैक्टरी के एरिया में इतनी भुखमरी बढ़ गई है कि वहाँ पर हाल ही में भूख से मरते हुए मजदूरों ने एक घर में घुसकर एक महिला को हत्या कर दी और वहाँ का सारा सामान उठाकर ले गए। मैंने पहले भी बताया है कि अस्पताल में वहाँ के एक कर्मचारी की पत्नी का देहान्त हो गया लेकिन वह व्यक्ति उस डेड बॉडी

को लेने इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके पास उसके कफन दफन के लिए पैसा नहीं था। वहाँ के अस्पताल के कर्मचारियों और वहाँ के दुकानदारों ने चंदा करके उसका अंतिम क्रियाकर्म किया। माननीय उपसभापति महोदया, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ के तमाम लोग भूख से मरने लगेंगे। इसके साथ ही जो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी वह ई. एम. आई. का योगदान न दिए जाने के कारण बंद हो गई है। अब उनका पानी और बिजली भी बंद होने वाली है। इसलिए इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक आई. ए. एस. अधिकारी, तावरिया नाम का वहाँ भेजा था। दो करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिए थे और 5 करोड़ रुपये का उसने सीमेंट बेचकर उसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस फैक्टरी का प्रोडक्शन चालू नहीं किया गया। उसने वहाँ पर लाइम स्टोन का ढेर लगा दिया लेकिन कोयला नहीं मंगाया। वह लाइम स्टोन के ठेकेदार को अपने साथ ले गया था। लेकिन कोयला जिससे प्रोडक्शन चालू हो सकता था वह नहीं मंगाया। इस तरह से उसके द्वारा मजदूरों की जिदगी से खेल खेला गया। मैं माँग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए और इस चीज का पता किया जाए कि 7 करोड़ रुपये बिना प्रोडक्शन चालू किए किस तरह से ठिकाने लगा दिया गया। महोदया, उन गरीब मजदूरों की दृष्टि से इस फैक्टरी को चालू किया जाना बहुत आवश्यक है। महोदया, सवाई माधोपुर के साथ दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो रही है इसको मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक तेल शोधक कारखाने की

वात आई थी लेकिन वह राजनैतिक कारणों से वहां से हट गया। उसके बाद वहां पर ताप विजली घर की योजना आई थी लेकिन वह भी नहीं हुआ। उसके बाद खान के कारखाने की बात आई लेकिन वह भी, यहां पर जंड. आर. अंसारी साहब बैठे हुए हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए पर्यावरण का बहाना बनाकर इसको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। मात्र 29-30 किलोमीटर दूर का स्थान प्रस्तावित है, 5 करोड़ रुपया वहां खर्च हो चुका है, इसके बावजूद भी उसको अन्यत्र ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने इस बारे में अंसारी साहब से निवेदन किया था लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वे किसी और एंगल से उसको देखते हैं। मुझे पता नहीं वह एंगल क्या है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सवाई माधोपुर की तरफ औद्योगिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए। वहां से नए उद्योगों को हटाया जा रहा है, पुराने उद्योग बंद पड़े हैं। वहां पर जुलाहा कम्युनिटी के लोग रहते हैं पिछले आठ महीनों से उनको सूत नहीं दिया जा रहा है। वे भी बेरोजगार पड़े हैं। सवाई माधोपुर की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, वहां पर भुखमरी है, बेरोजगारी है। इसलिए वहां जो स्थिति है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इस सीमेंट फैक्टरी को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से भी समन्वित कार्य हो सके, वह किया जाए जिससे वहां पर भूख से मरने वाले लोग भूख से बच सकें और वहां की बेरोजगारी दूर हो सके।

श्री राम चंद्र विकल (उत्तर प्रदेश):
मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूं।
Alleged injustice with Scheduled castes in
the matter of promotion

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश)
उपसभापति महोदया, आपने मुझे जो स्पेशल मेंशन पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अभी हमारे भाई रत्नाकर पाण्डेय जी ने हरिजन अधिकारियों को न्याय दिलाने के बारे में जो कुछ बोला मैं उनको बधाई देती हूं धन्यवाद देती हूं। इसी के मन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि कुछ सरकारें हैं जो गृह मन्त्रालय के आदेशों का उल्लंघन करती हैं और हरिजन अधिकारियों को जहां तक उनकी प्रमोशन का सवाल है उनको न्याय नहीं मिल पाता है। हानांकि सर्विस ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी उनको न्याय देने के लिए जजमेंट प्रशंसनीय सर्विस रिकार्ड के आधार पर उनके पक्ष में हुए हैं उनके खिलाफ जब कि सरकार को जाना नहीं चाहिए सरकारें खुद इन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ कोर्ट में जाती हैं। जिन हरिजन अधिकारियों के लिए ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं कि उनको न्याय दिया जाए प्रमोशन दिए जाएं तो उस फैसलों के खिलाफ सरकारों को अदालतों में नहीं जाना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है जबकि कानून यह है कि ट्रिब्यूनल आदेशों का पालन किया जाए वहीं अंतिम निर्णय मान कर अधिकारियों को न्याय दिलाया जाए। उदाहरण स्वरूप इस संबंध में मैं आपका ध्यान ऐसे ही गम्भीर मामलों की तरफ दिलाना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश सरकार खुद कई मामलों में, आई. ए. एस. आई. पी. एस. हरिजन अधिकारियों को न्याय नहीं दे रही है उनके प्रमोशन